

# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016 Website: rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact: 0141-4004914 Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com.

क्रमांकः पैरामेडि.कौं./मान्यता (संबंद्वता शुल्क)/2024/7२8

दिनांक २०/०६/२०२५

सचिव / निदेशक / प्रधानाचार्य

समस्त मान्यता प्राप्त निजी पैरामेडिकल संस्थान / महाविद्यालय राजस्थान।

विषय :- मान्यता / संबंद्धता शुल्क (Affiliation Fee) सत्र 2024-25 जमा करवाने के क्रम में।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की बैठक दिनांक 28.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों / संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति कोर्स / पाठ्यक्रम 25 सीट हेतु राशि 50,000 / – एवं 50 सीटो हेतु 1,00,000 / – तथा इससे अधिक सीट होने पर सीटो की संख्या के अनुपातिक रूप में लिये जाने एवं निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 10,000/- रूपये शास्ति राशि देय होगी।

कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी महाविद्यालयों / संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पूर्ति कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावें। शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले संस्थान ही निर्धारित वार्षिक मान्यता / संबंद्धता शुल्क (Affiliation Fee) दिनांक 21.06.2024 से 01.07.2024 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा दिनांक 05.07.2024 तक 10,000/— रूपयें (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना सुनिशिचित करें एवं संलग्न प्रपत्रो, एवं शपथ पत्र सहित सम्पूर्ण दस्तावेजात (यथा-संस्थान के स्वयं के शैक्षणिक भूमि-भवन एवं स्वयं के अस्पताल / प्रयोगशाला के दस्तावेजात) इसके साथ संस्थान में कार्यरत Teaching Faculty की लिस्ट एवं उनके संस्थान द्वारा दिये गये वेतन का प्रमाण स्वरूप दस्तावेजात इस कार्यालय में दिनांक 05.07.2024 को सायः 6:00 बजे तक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी जरिये रजिस्टर्ड डॉक से कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

शीघ्र ही शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नहीं करवाने एवं उपरोक्त दस्तावेजात मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली संस्थानो / महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया की काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा तथा संस्थान / महाविद्यालय की नियमानुसार मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान संचालक की होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक

क्रमांकः पैरामेडि.कौं. / मान्यता (संबंद्वता शुल्क) / 2024 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- 2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 3. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
- 4. लेखा / रोकड शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
- 5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अलपोड करें।
- 6. रक्षित पत्रावली।

To, The Registrar, Rajasthan Para Medical Council, Jaipur, Rajasthan.

Subject: - Institute/College Information	on Filled
Ref. :- Your letter no	Dated

In reference to the above sighted letter I have inspected the institution and my report is as under:-

- 1. Date of the inspection -
- 2. Name of the institution -
- 3. Name of the Chairperson/Secretary -
- 4. Name of the society/Trust/Company -
- 5. Complete address where paramedical course will run. -
- 6. Name of the Principal/Dean/HOD with qualification -
- 7. Name of the courses applied for and requested annual admissions.

S. No.	Name of the course	Number of seats
1		
2	10	
3		
4		
5	31	
6	4	
7		
8		

- 8. Other courses running in the same premises -
- 9. Physical facilities are available as per norms (Please sign in yes or No column only)

S. No.	Description	Area	Yes	No
1	Principal Office			
2	Office facilities			
3	Number of class rooms	*		
4	Number of labs	3		
5	Library			
6	Common facilities	·		
7	Transportation facilities	*		
8	Boys and Girls hostel		* 1	
9	Sports facilities	Yan area		



10. Library facilities are available as per norms (Mention Yes or No) -

11. Clinical facilities are available as per norms (Please sign in Yes or No column only):-

Sr. No.		Particulars	
1	Name of own hospital/L	ab -	
2	Proof of the Hospital/La	b being own hospital/lab -	
3	Beds distribution -		
4	Pollution Control Board	Certificate -	
5	Clinical Establishment R	egistration -	
6	Distance of institute from	m Hospital/Lab in K.M	
7	Course wise clinical facil	ities -	
8	Name of Course	Details of clinical facilities available.	Facilities are as per norms Yes/No
			4
		1 +	

12. Teaching facilities available:-

S. No.	Name faculty	of	the	Qualification	Teaching Experience	Date of Joining	Part time/Full time
A sepa	rate prof	form	a for	filling the inform	ation of teaching	g faculty is	enclosed.



Teaching facility is as per norms.

Yes	No
100	110

- 13. Required equipment's as per norms are available (Right only Yes or No) (Purchase bills of the equipment's should be verified by the inspector.)
- 14. Videography of required infrastructure facility done in my presence and video CD is enclosed.
- 15. Any other information.

(No recommendation to be given)

Signature and Name of Principal/ Secretary

## **Declaration**

IS/oHaving present
residential addressam the principal of
college (with address) hereby
declare that the statement and declaration furnished by the institution, whose principal I
am, are true to the best of my knowledge and belief and that I am free from the
disqualification mentioned in the Rajasthan Para-medical Council Act, 2008 rules and
regulations, I Promise in the event of being granted extension of recognition and in
consideration thereof to be bound by and to confirm in all respects to the rules, regulation
etc. framed by Council from time to time in force.

Place:

Date:

Seal & Signature of Principal

### Note:-

- 1. Please attach Xerox-copy of photo id.
- 2. It is compulsory to give the declaration on Non-Judicial Stamp paper of  $\,50/\text{-}\,$  Rupees

### शपथ पत्र

(50 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

*	पुत्रश्रीआयुआयुजाति
निव	सीसंस्थान
	के पद पर कार्यरत हूं एवं सशपथ बयान करता हु कि :
1.	यह है कि हमारी संस्थानको पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, अधिनियम 2008 की धारा 28(4) के अंतर्गत दिनांकमान्यता प्रदान की गई थी।
2.	(A) यह है कि हमारी संस्थान ने मान्यता प्राप्ति के उपरान्त 05 वर्ष पूर्ण कर लिये है, तथा संस्थान द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1) A के प्रावधानों की अनुपालना में स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट कर लिया है या पूर्व से ही स्वंय के स्वामित्व के
	भवन में संचालित है।
	अथवा
	(B) यह है कि हमारी संस्थान को मान्यता प्राप्ति के उपरान्त 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है, तथा संस्थान द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1) A के प्रावधानों की अनुपालना में 05 वर्ष पूर्ण होने पर स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट कर लिया जावेगा।
	यह कि हमारी संस्थान का वर्तमान स्थायी पता निम्नानुसार है :—यह कि संस्थान के स्थायी पते के अक्षांश / देशान्तरीय (Longitute/letitute) निम्नानुसार है :— (A) अक्षांश
	हमारी संस्थान द्वारा Clinical Establishment Act के तहत् पंजीयन पूर्व से है / करवा लिया गया है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र संख्याएवं जारी दिनांकहै। संस्थान द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 संशोधित नियम / विनियम 2015 व 2023 के समस्त प्रावधानो की हमारे द्वारा पालना की जा रहीं है, तथा संलग्न प्रपत्र की पूर्ति कर दी गई है।
दि	गंक :-
	हस्ताक्षर शपथग्रहिता
3	
11	सत्यापन
<b></b> 刊	पुत्र श्रीसंस्थानजाति ।।सीसंस्थान
ान-	पद पर कार्यरत हूँ एवं सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 01 लगायत 06 मेरे निजी
d)	न एवं रिकार्ड के अनुसार सही एवं सत्य है। ईश्वर मेरी रक्षा करें।
হা।	हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

नोट :- शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 2 के A अथवा B में से जो भी लागू हो उसी एक को भरा जावें।

# Details of Teaching Faculties Available

1	1
1	Z)
A	3.
	4

Sr.	Name of Faculty with Designation	Qualifications	Date of Joining	Aadhar No.	Mobile No.	Email id.
10.	wish Designation		Joining			
	ti					
		4				